



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/PAUSA 18, 1937

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016

फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2016.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,—

(1) विनियम 5 में,—

(क) उपविनियम (2) में "सत्यापित" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ख) उपविनियम (8) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां शेयरों, मताधिकारों या नियंत्रण के अर्जन के लिए भारत का प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का सारवान अर्जन) विनियम, 2011 के निबंधनों के अनुसार कोई लोक उदघोषणा की गई है, वहां ऐसी लोक उदघोषणा को "अन्य दस्तावेज" समझा जाएगा।";

(2) विनियम 6 के उपविनियम (2) में "और सत्यापित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(3) विनियम 9 में,—

(क) उपविनियम (1) के परंतुक में, "उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड", शब्दों के स्थान पर, "कंपनी" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपविनियम (3) के परंतुक में, "उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड", शब्दों के स्थान पर, "कंपनी" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उपविनियम (4) में, "या एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(4) विनियम 13 के उपविनियम (1) में "और सत्यापित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(5) विनियम 14 के उपविनियम (2क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु आयोग किसी सूचना को अविधिमान्य के रूप में विनिश्चित करने से पूर्व इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार संयोजन के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि सूचना की विधिमान्यता के संबंध में इन विनियमों के विनियम 14 के उपविनियम (2क) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ होने से, आयोग के विनिश्चय तक की अवधि को, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से अपवर्जित किया जाएगा ।";

(6) विनियम 31 का लोप किया जाएगा ।

(7) इन विनियमों की अनुसूची 1 में,—

(क) प्रवर्ग (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—किसी उद्यम के कुल शेयरों के दस प्रतिशत से कम शेयरों या दस प्रतिशत से कम मताधिकारों के अर्जन को मात्र एक निवेश के रूप में माना जाएगा :

परंतु उक्त अर्जन के संबंध में,—

(अ) अर्जनकर्ता के पास केवल ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने का सामर्थ्य है, जिनका प्रयोग उद्यम के ऐसे साधारण शेयरधारकों द्वारा किया जाता है, जिनके शेयरों या मताधिकारों का अर्जन उनकी संबंधित शेयरधारिता के विस्तार तक किया जा रहा है ; और

(आ) अर्जनकर्ता, उस उद्यम के निदेशक बोर्ड का सदस्य नहीं है, जिसके शेयरों या मताधिकारों का अर्जन किया जा रहा है और उसका आशय उस उद्यम के निदेशक बोर्ड में किसी निदेशक को नामनिर्दिष्ट करने का नहीं है, जिसके शेयरों या मताधिकारों का अर्जन किया जा रहा है और वह उस उद्यम के प्रबंधन संबंधी कार्यों में भाग लेने का आशय नहीं रखता है, जिसके शेयरों या मताधिकारों का अर्जन किया जा रहा है ।";

(ख) प्रवर्ग (1क) में, "जिसके परिणामस्वरूप किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे उद्यम के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक शेयरों या मताधिकारों का सकल अर्जन नहीं होता है," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(8) इन विनियमों की अनुसूची 2 में,—

(क) प्ररूप 1 में सत्यापन भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"घोषणा

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इससे संलग्न सभी पृष्ठ उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और यह कि सभी प्राक्कलनों की उसी प्रकार पहचान की गई है, जैसे कि वे हैं और उसके सर्वोत्तम प्राक्कलन अंतर्निहित तथ्यों पर आधारित हैं।

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार अधिनियम की धारा 44 और धारा 45 के प्रति सचेत है।

अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकार द्वारा

या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

तारीख :

[एक से अधिक अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इस प्ररूप का प्रयोग कर सकेगा।]";

(ख) प्ररूप 2 में, सत्यापन भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"घोषणा

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इससे संलग्न सभी पृष्ठ उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और यह कि सभी प्राक्कलनों की उसी प्रकार पहचान की गई है, जैसे कि वे हैं और उसके सर्वोत्तम प्राक्कलन अंतर्निहित तथ्यों पर आधारित हैं।

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार अधिनियम की धारा 44 और धारा 45 के प्रति सचेत है।

अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकार द्वारा

या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

तारीख :

[एक से अधिक अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इस प्ररूप का प्रयोग कर सकेगा।]";

(ग) प्ररूप 3 में, सत्यापन भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"घोषणा

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इससे संलग्न सभी पृष्ठ उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और

पूर्ण हैं और यह कि सभी प्राक्कलनों की उसी प्रकार पहचान की गई है, जैसे कि वे हैं और उसके सर्वोत्तम प्राक्कलन अंतर्निहित तथ्यों पर आधारित हैं।

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार अधिनियम की धारा 44 और धारा 45 के प्रति सचेत है।

अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकार द्वारा

या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

तारीख :

[एक से अधिक अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इस प्ररूप का प्रयोग कर सकेगा।]";

स्मिता झींगरन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./314]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में अधिसूचना सं. फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे,—

- (क) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में फा.सं. 3-1/संशो./संयोजन विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2012 ;
- (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में फा.सं. 3-1/संशो./संयोजन विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2013 ;
- (ग) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयोजन विनि./2014 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2014 ; और
- (घ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 जुलाई, 2015 में फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयोजन विनि./2015 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2015 ।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016

F.No. CCI/CD/Amend/Comb.Reg./2016— In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—
- (1) in regulation 5,-
 - (a) in sub-regulation (2), the word “verified” shall be omitted;
 - (b) in sub-regulation (8), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 ‘Provided further that where a public announcement has been made in terms of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, for acquisition of shares, voting rights or control, such public announcement shall be deemed to be the “other document”.’;
 - (2) in regulation 6, in sub-regulation (2), the words “and verified” shall be omitted;
 - (3) in regulation 9,—
 - (a) in sub-regulation (1), in the proviso, for the words “board of directors of the company for the said purpose”, the word “company” shall be substituted;
 - (b) in sub-regulation (3), in the proviso, for the words “board of directors of the company for the said purpose”, the word “company” shall be substituted;
 - (c) in sub-regulation (4), the words “or inter-dependent on each other” shall be omitted;
 - (4) in regulation 13, in sub-regulation (1), the words “and verified” shall be omitted;
 - (5) in regulation 14, in sub-regulation (2A), the following provisos shall be inserted, namely:—
 “Provided that the Commission may give an opportunity of being heard to the parties to the combination in accordance with regulation 24 of these regulations before deciding to invalidate a notice:
 Provided further that the period between the commencement of proceedings under sub-regulation (2A) of regulation 14 of these regulations till the decision of the Commission regarding validity of the notice, shall be excluded from the period specified in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations.”;
 - (6) regulation 31 shall be omitted;
 - (7) in Schedule I to these regulations,—
 - (a) in category (1), the following explanation shall be inserted, namely:—
 “*Explanation:-* The acquisition of less than ten per cent of the total shares or voting rights of an enterprise shall be treated as solely as an investment:
 Provided that in relation to the said acquisition,-
 (A) the Acquirer has ability to exercise only such rights that are exercisable by the ordinary shareholders of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired to the extent of their respective shareholding; and
 (B) the Acquirer is not a member of the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not have a right or intention to nominate a director on the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not intend to participate in the affairs or management of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired.”;
 - (b) in category (1A), the words “*not resulting in gross acquisition of more than five per cent (5%) of the shares or voting rights of such enterprise in a financial year,*” shall be omitted;

(8) in Schedule II to these regulations,

(a) in Form I, for verification part, the following shall be substituted, namely:—

“DECLARATION

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto is true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

The notifying party is aware of the provisions of sections 44 and 45 of the Act.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block capitals):

Designation:

Date: _____

[In case there are more than one notifying parties, each party may use the same format.]”;

(b) in Form II, for verification part, the following shall be substituted, namely:—

“DECLARATION

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto is true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

The notifying party is aware of the provisions of sections 44 and 45 of the Act.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block capitals):

Designation:

Date: _____

[In case there are more than one notifying parties, each party may use the same format.]”;

(c) in Form III, for verification part, the following shall be substituted, namely:—

“DECLARATION

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto is true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

The notifying party is aware of the provisions of sections 44 and 45 of the Act.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block capitals):

Designation:

Date: _____

[In case there are more than one notifying parties, each party may use the same format.]”.

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./314]

Note: Principal Regulations were published vide Notification No. F. No. 1-1/Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,—

- (a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb.Reg./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;
- (b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;
- (c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Reg./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014; and
- (d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Reg./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 01st July, 2015.